मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2016 को आयोजित "पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (PCRMC)" की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न विवरणी के अनुसार।

पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (PCRMC) की बैठक में विभागवार विचार–विमर्श के उपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1. पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति, पटना आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी प्रशासनिक इकाइयों में अंतर्विभागीय समन्वय करेगी। तदनुसार पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति का कार्य सम्पूर्ण पटना आयोजना क्षेत्र होगा।

2. **गृह विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

2.1 पटना राजधानी क्षेत्र में Intelligent Traffic Management System की व्यवस्था एवं प्रबंधन गृह विभाग द्वारा किया जाएगा। आधारभूत ढाँचे से संबंधित कार्य बुडको या अन्य संबंधित एजेंसी से कराया जा सकता है, परन्तु प्रबंधन गृह विभाग की जिम्मेदारी होगी।

2.2 शहरी क्षेत्र में CCTv कैमरा का व्यवस्थित नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

2.3 अतिक्रमण पर रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था गृह विभाग द्वारा की जानी है। इसके लिए श्री विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा उनके आयुक्त, मगध प्रमंडल की पदस्थापना अवधि में अपनाये गये प्रक्रिया के अनुसार सुझाव गृह विभाग को दिया जाएगा, जिस पर विचार करके अग्रेत्तर अमल किया जा सकता है।

2.4 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार संबंधित विभाग अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

2.5 पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए Dedicated पुलिस बल उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गयी। तदनुसार जिला दंडाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक जिला नियंत्रण कक्ष में Dedicated मजिस्ट्रेट/पुलिस बल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसका उपयोग नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रभावी तरीके से किया जाएगा।

3. **ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

3.1 निर्णय लिया गया कि वैसे पथ, जिनके बीच में बिजली के पोल एवं तार अवस्थित हैं, उनमें स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निधि नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर निकायों द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध करायी जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी तदनुसार प्राक्कलन समर्पित करेगी।

3.2 व्यस्त इलाकों में प्राथमिकता के तौर पर अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

3.3 स्ट्रीट लाईट हेतु Dedicated Feeder की व्यवस्था तथा साथ ही साथ पेयजल पम्प स्टेशनों को Dedicated विद्युत आपूर्ति से जोड़ने के लिए योजना बनायी जाय।

4. **पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे :–**

4.1 शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथांसों में पथों की चौड़ाई बढ़ाने, फुटपाथ का निर्माण, स्ट्रीट लाईट, डिवाईडर, ग्रीन बेल्ट, साईकिलिंग ट्रैक, पार्किंग आदि की व्यवस्था का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा Urban Road Policy तैयार की जाएगी।

4.2 पटना शहर के 09 मुख्य Out fall drain का पक्कीकरण एवं तकनीकी रूप से जहाँ संभव हो, उन स्थानों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण, पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

4.3 बैरिया में प्रस्तावित नये बस स्टैण्ड तथा रामचक बैरिया अवस्थित पम्पिंग यार्ड एवं पटना–गया रोड को वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नंदलाल छपरा से बादशाही पईन होते हुए बैरिया बस स्टैण्ड तक एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

4.4 फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग स्थलों का प्रबंधन, पथ निर्माण विभाग द्वारा अथवा पटना नगर निगम द्वारा किया जाएगा, इस पर पथ निर्माण विभाग द्वारा विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

4.5 पटना राजधानी क्षेत्र में अवस्थित पथ निर्माण विभाग के पथों के किनारे, जहाँ संभव हो वहाँ पार्किंग क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार की जाय।

4.6 शनिचरा पुल का निर्माण बरसात से पूर्व कराना सुनिश्चित किया जाय।

DK

4.7 मीठापुर से नंदलाल छपरा के बीच NHAI द्वारा बनाये जा रहे नाले के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5. **जल संसाधन विभाग से संबंधित मुद्दे** :–

5.1 बादशाही नाला को अतिक्रमण मुक्त करके मॉनसून के पूर्व उड़ाही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

5.2 पहाड़ी से लेकर पुनपुन तक खनबा नाले को अतिक्रमण मुक्त करके उड़ाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

5.3 गंगा सुरक्षा बाँध को पिलरिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से सीमांकन कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. **पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित मुद्दे** :–

6.1 शहर में अवस्थित सभी पार्कों को चरणबद्ध तरीके से प्रबंधन वन प्रमंडल, पटना के द्वारा किया जाएगा, लेकिन हस्तांतरण होने पर पटना नगर निगम द्वारा पार्कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। तत्काल स्थानांतरित हो चुके 06 बड़े पार्कों का प्रबंधन वन प्रमंडल, पटना द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक Capital Expenditure की राशि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाय।

6.2 वन प्रमंडल, पटना द्वारा कंकड़बाग जीरो प्वाइंट से योगीपुर संप हाऊस तक नये पार्क निर्माण की योजना बनायी जाय।

7. **नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित मुद्दे** :–

7.1 पटना नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उचित तरीके से सुनिश्चित करके, डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण, प्रतिदिन कूड़ा उठाव एवं ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जाय।

7.2 प्रस्तावित Waste to Energy Plant शीघ्र चालू हो। इसके लिए कदम उठाया जाय।

7.3 पेयजल प्रबंधन के लिए शहर में अवस्थित "पटना जल बोर्ड" को सुदृढ़ किया जाय।

7.4 शहरी गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजन से मल्टीस्टोरी हाउसिंग के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया जाय।

7.5 सम्पूर्ण पटना आयोजना क्षेत्र में प्रधान मुख्य पथ एवं मुख्य पथों पर 06 माह के अंदर एल०ई०डी० लाईट लगाया जाय। स्ट्रीट लाईट के प्रबंधन हेतु पटना नगर निगम द्वारा Outsourcing के माध्यम से एजेंसी लगायी जाय।

7.6 भवन उपविधि का कड़ाई से पालन किया जाय ताकि अवैध निर्माण नहीं हो।

8. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग से संबंधित मुद्दे :–

8.1 सार्वजनिक दीवारों पर राज्य की विरासत पर आधारित चित्रकारी को बढ़ावा दिया जाय।

9. पर्यटन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

9.1 पर्यटन महत्व के स्थानों के भ्रमण हेतु सिटी बस की समुचित व्यवस्था की जाय।

10. परिवहन विभाग से संबंधित मुद्दे :–

10.1 सिटी बसों की संख्या में वृद्धि की जाय। विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षित बसों की संख्या बढ़ायी जाय।

10.2 कुछ पथों को चिन्हित करके ऑटो/रिक्सा के परिचालन पर रोक लगायी जाय।

11. समयाभाव के कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा भवन निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी, जिससे संबंधित विभागवार मुद्दे निम्नवत है :–

11.1 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग :–

(i) शहरी क्षेत्र में अवस्थित गैर मजरूआ, खास, आम/कैसरे हिन्द भूमि को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/आयोजना प्राधिकार को हस्तांतरण करने पर विचार करना।

(ii) राजधानी क्षेत्र में गृह विहीन भूमिहीन परिवारों को EWS/LIG आवास बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था।

11.2 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :–

(i) आयोजना क्षेत्र में अवस्थित पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था।

(ii) आयोजना क्षेत्र में अवस्थित सभी ग्राम पंचायतों में पाईप जलापूर्ति की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करना।

DK

11.3 भवन निर्माण विभाग :–

(i) भवन निर्माण विभाग की वैसे अतिक्रमित/भूमि, जिस पर अतिक्रमण हटाना संभव नहीं हो, उस पर EWS/LIG मल्टीस्टोरी आवास बनाने हेतु सहमति।

(ii) EWS/LIG हेतु भूमि उपलब्ध कराना।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/3/16

(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–01/2016 2201 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 30/3/16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

30.3.16

(प्रधान सचिव),
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–01/2016 2201 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 30/3/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.3.16
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–01/2016 2201 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 30/3/16

प्रतिलिपि :– संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16
प्रधान सचिव

DK

दिनांक– 04.03.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (PCRMC) के बैठक की उपस्थिति विवरणी :–

क्र० सं०	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.			
2.	पी० के० ठाकुर	पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना	[signature]
3.	रवि मित्तल	पर्ट वित्त	Amital
4.	विवेक सिंह	प्रधान सचिव [illegible]	[signature] 4/3
5.	प्रत्यय अमृत	प्रधान सचिव कार्य	[signature]
6.	आमिर सुबहानी	" " गृह	[signature]
7.	आनन्द किशोर	आयुक्त, पटना प्रमंडल	[signature]
8.	[illegible]	प्रधान सचिव, [illegible]	[signature]
9.	नवीन चन्द्रमा	रा. परिवहन आयुक्त	[signature]
10.	कुन्दन कृष्णन	Zant IG Patna	[signature]
11.	संजय कुमार अग्रवाल	D.M. Patna	[signature]
12.	कपिल अशोक शीर्षत	MD, BRJP	[signature]
13.	Jai Singh	PMC.	[signature]
14.	नरेन्द्र कुमार सिंह	J.S UDHD	[signature] 4/3
16.	कुमार सर्वानन्द	Town Planner (Architect) U.D.H.D.	[signature]
17.	Manu Maharaj	SSP Patna	[signature]
18.	Amir Hasan	SE, central circle RCD, Patna	[signature]
19.	Binod Kr Jha	Joint Director Revenue and Land Reform	[signature] 4/3
20.	S.C. Mishra C.E. Design	P.H.E.D.	[signature] 4.3.16

क्र० सं०	नाम / पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
21.	Neel Kamal M.D. B.S.H.B.	Nagar Vikas & Awas Vikas	
22.	राजेन्द्र प्र० चौधरी अतिरिक्त प्रमुख सह आवास आयुक्त एवं विशेष सचिव	भवन निर्माण विभाग	01/3/16
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			